उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या / 2016 / 17(120) / XXVII(8) / 2014
देहरादून:: दिनांक :: 27 जून, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं0 23 वर्ष 2015) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 वर्ष 1904), (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की अनुसूची IIIमें निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–III के क्रमांक 1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्–

क्र0 सं0	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की दर
1	पिज्जा आउटलेट्स या फ्राईड चिकन आउटलेट्स द्वारा खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड) की बिक्री, प्री पैक्ड फ्रोजन फूड, प्री पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेज़ जिसमें प्री पैक्ड लस्सी, बटरमिल्क और दूध सम्मिलित नहीं है।	विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 431 / 2016 / 17(120) / XXVII(8) / 2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

विधि .... अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
3307
27/06/2016
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

E:/New Vigyapti/Packed Items(023-06-2016)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.431 / 2016/ 17(120)XXVII(8)/2014 dated 27 June, 2016 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 431 /2016/17(120) XXVII(8)/2014
Dehradun :: Dated :: 27 June, 2016

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Cess Act, 2015 (Act no. 23 of 2015) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Cess Act, 2015-

Amendment

In Schedule-III, for the existing entry at serial no. 1, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. No.	Description of goods	Incidence of Cess	Rate of Cess
1	Ready to eat food (Fast Food) sold by Pizza outlets or Fried Chicken outlets, Pre-Packed Frozen Food, Pre-Packed Soft Drinks, Fruit Drinks, Flavoured Drinks and Beverages but not including Pre-Packed Lassi, Buttermilk and Milk.	At the point of the manufacturer or at the point of first sale of goods in the State, after their import from outside the State.	Two percent of the value of the goods

(Amit Singh Negi)
Secretary

E:/New Vigyapti/Packed Items(023-06-2016)